पर्यावरण संरक्षण के लिए गांवों में जैव विविधता का पाठ

मृत्युंजय मानी • पटना

जैव विविधता संरक्षण

- पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर 21 को गठित की जाएगी जैव विविधता प्रबंधन समिति
- पेड़-पौधों से लेकर जीव-जंतु, पुराने बीज तक के संरक्षण की पहल

जैव विविधता जैसे विषय पर आम जन को जागरूक करने की दिशा में सरकार ने पंचायत स्तर तक समिति के गठन का निर्णय लिया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके। यह पर्यावरण संरक्षण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो पूरा पारिस्थितकी तंत्र बनाती है, लेकिन लोग इससे अनभिज्ञ हैं। यदि कोई तालाब है तो उसकी जैव विविधता ही पारिस्थितकी तंत्र है, जिसमें कीट-पतंग से फंगस, शैवाल सब कुछ आते हैं। यह सब है तो तालाब का जीवन है।

इसके प्रति लोग जागरूक हों, इसलिए पंचायत स्तर तक समितियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें आम जन की सीधी सहभागिता होगी और विशेषज्ञ उन्हें समय समय पर इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। राज्य की सभी पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर 21 नवंबर को जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा होगी। प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठकें होंगी। एक ही दिन राज्य की 8057 पंचायत, 534 प्रखंड और 38 जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सभा बुलाकर समिति गठित कराने का निर्देश दिया है।

हर स्तर पर सात-सात सदस्यीय जैव विविधता प्रबंधन समिति होगी। इनमें छह सदस्यों का चयन ग्राम सभा से होगा। पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव की भूमिका सदस्य सचिव की होगी। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी और जिला स्तर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। छह चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तीन सीटें आरक्षित हैं, जिनमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। शेष तीन सदस्य किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। समिति के गठन की कार्यवाही को आनलाइन अपलोड कर पंचायत सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के ऐप पर भेजा जाना है। बिहार राज्य जैव विविधता प्रबंधन पर्षद के अध्यक्ष डीके शुक्ला ने बताया कि जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन की पक्रिया पर एक बुकलेट भी बनाया गया है। इसे सभी जिलों में भेजा गया है। इसके अंत में फार्म दिया गया है। उसे भी भरकर पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड करना है। उन्होंने आम जन से यह भी अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रबंध समिति का अध्यक्ष व सदस्य बनने को लोग आगे आएं। अभी सिर्फ रोहतास जिला के मानी ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित है।

ह्रास को रोकने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

पर्यावरण के प्रति जागरूक करने तथा जैव विविधता के ह्रास को रोकने के लिए सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्षद के अध्यक्ष ने बताया कि पहली बार समिति गठित की गई थी तो अधिसंख्य मुखिया स्वयं अध्यक्ष बन गए थे। समिति में ज्यादा से ज्यादा आम सहभागिता और पर्यावरण से लगाव रखने वालों को स्थान देना है। इसमें जीव-जंतुओं, पुराने बीजों, पेड़-पौधों आदि का संरक्षण शामिल है। समितियों के गठन के बाद जैव विविध पंजी तैयार कराई जाएगी। लोगों को घास, औषधि, फसल आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव-जंतु वनस्पति को संरक्षित करने के बाद ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री एप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य भर में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों की तस्वीर के साथ उससे संबंधित सारी जानकारी के साथ उनके संरक्षण की योजना बनाई जाएगी। जिला वन पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।